न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2024(GCMS 2024/178)
(आरटीआई संख्या 212438819577300)

श्री राजकुमार सुथार सुपुत्र श्री राम सिंह सुथार, पता वार्ड नम्बर नया 27 मण्डी पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ़

बनाम

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

01.01.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामकुमार सुथार स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी ने तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2024 से दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रामकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. पंचायत समिति, पीलीबंगा की ग्राम पंचायत पीलीबंगा के गांव के चक 25–26 एसटीजी क्षेत्र में, सरकार/संबंधित जिस भी विभाग द्वारा सन् 1964 अथवा इसके आ... चक 25–26 एसटीजी के जारी Abadi Lay Out Plan (जारी प्रथम मास्टर प्लान/नक्शे) में पंचायत भवन, हॉस्पीटल, मंदिर, स्कूल, बच्चों के लिए ... मैदान, ...र्कों, डिग्गीयों, वाटर हट, वाटर वर्क्स, ... जोहड पायतन, धर्मशाला, ... भूमि ... लिये, जहां जहां जितनी आरक्षित की गई थी अथवा नहीं, के सम्बन्ध में निम्न पूर्ण सूचना/जानकारी, उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:36 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

2(अ) ग्राम पंचायत पीलीबंगा के चक 25–26 एसटीजी के जारी Abadi Lay Out Plan के अनुसार, गांव चक 25–26 एसटीजी में forest की कितनी भूमि कहां कहा है तथा Forest की कितनी ... का उपयोग, किस उद्देश्य से, किसके द्वारा, कब से किया जा रहा है, पूर्ण सूचना प्रमाणित कर उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

2(ब) सरकार अथवा संबधित विभाग द्वारा उक्त गांव चक 25–26 एसटीजी के संबंध में सन 1964 से लेकर हाल वर्तमान तकि, जारी सभी अलग अलग नक्शें की प्रमाणित छायाप्रतियों सहित यह सूचना उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

2(स) उक्त गांव चक 25–26 एसटीजी की सन् 1964 में हुई चकबन्दी के प्रमाणित नक्शे व संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियां उपलब्ध करवाने कर श्रम करें।

तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/1703 दिनांक 05.08.2024 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक प्रार्थना पत्र के संदर्भ में लेख है कि आप द्वारा विभागानुसार सूचना चाही गई है। कार्यालय में आप द्वारा चाहे अनुसार अभिलेख संधारित नहीं है। सूचना जिस कदर कार्यालय में संधारित है वही प्रदान की जा सकती है। सूचना सृजित करके देना लोक सूचना अधिकारी का कर्तव्य नहीं है।

अतः आपका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:36 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** द्वारा जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **तहसीलदार (भू.अ.), सूरतगढ़** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:36:36 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर